दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 07 दिसम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 69

जिस फ्लाइओवर के नीचे डॉक्टर से दरिंदगी, वहीं मारे गए चारों आरोपी

हैदराबाद (आरएनएस)। तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को शादनगर के पास मुठभेड़ में एक युवा महिला पशुचिकित्सक के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के सभी चार आरोपियों की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी शुक्रवार अल सुबह तब मारे गए, जब उन्होंने हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर शादनगर के पास चटनपल्ली से भागने की कोशिश की। चारो आरोपियों की पहचान मोहम्मद अरीफ, नवीन, शिव और चेन्नाकेसवुलु के रूप में हुई थी।

उन्हें उसी स्थान पर गोलियों से भून दिया गया, जहां आरोपियों 27 नवंबर की रात को पीड़िता के साथ हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद के पास सामूहिक दुष्कर्म करने और उसकी हत्या के बाद उसके शव को जलाकर फेंक दिया था। जांच के हिस्से के रूप में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपियों को मौके पर ले जाया गया था, जहां आरोपियों ने भागने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मार गिराया।

हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वी.सी सज्जनार ने इन आरोपियों के ढेर होने की पुष्टि करते हुए कहा कि इन लोगों ने उस वक्त भागने की कोशिश की थी, जब इन्हें मौका-ए-वारदात पर क्राइम सीन दोहराने के लिए ले गई थी। युवा डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद देशभर में गुस्से की लहर देखने को मिली थी और अपराधियों को तत्काल मौत की सजा देने की मांग की गई थी।

गौरतलब है कि साइबराबाद पुलिस ने 29 नवंबर को मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था और उन्हें शनिवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सभी आरोपियों की उम्र 24 साल से कम है। तेलंगाना सरकार ने मामले की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के आदेश जारी किये थे। राज्य सरकार ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए महबूबनगर जिले में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को विशेष अदालत के रूप में नामित किया था। दुष्कर्म एवं हत्या की इस घटना के बाद देश के लोगों ने आक्रोश था और जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे थे।

समर्थन में उतरे नागरिक, बरसाए फूल, पुलिसकर्मियों को बांधी राखी

शादनगर के पास मुठभेड़ स्थल के करीब पहुंची लोगों की भारी भीड़ ने तेलंगाना पुलिस और साइबराबाद पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार की तारीफ में जमकर नारे लगाए। पुलिस पर फूल बरसाए और मिठाई बांटी । पीड़िता के पड़ोसियों ने पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। खुशी में हैदराबाद में पटाखें छोड़े जा रहे हैं। थानों में जाकर महिलाएं पुलिसकर्मियों को मिठाई खिला रही है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए सभी 4 आरोपियों पर दुष्कर्म पीड़िता महिला डॉक्टर के पिता ने कहा है कि मेरी बेटी की मौत हुए 10 दिन हो चुके हैं। मैं इसके लिए पुलिस और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरी बेटी की आत्मा को अब शांति मिलेगी। इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि इस भीषण अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों को मारकर पुलिस ने त्वरित न्याय किया है।

हैदराबाद मुठभेड़ पर मानवाधिकार आयोग ने दिये जांच के आदेश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हैदराबाद में एक महिला पशु चिकित्सक से सामूहिक बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर देने के चारों आरोपियों के कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने का शु वार को संज्ञान लिया और मामले की जांच के आदेश दिए। एनएचआरसी ने कहा कि आज हुई यह मुठभेड़ चिंता का विषय है।वहीं दूसरी ओर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हैदराबाद की एक पशु चिकित्सक युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के चार आरोपियों के शु वार को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराने के मामले की कानून के अनुसार तुरंत जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि देश में कानून का शासन होना ही चाहिए। आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने की तुरंत जांच होनी चाहिए। हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर शादनगर के पास चटनपल्ली में पुलिस से कथित तौर पर हथियार छीनने की कोशिश के बाद भाग रहे आरोपियों को शु वार सुबह पुलिस ने मार गिराया।

महत्वपूर्ण एवं खास

तेजाब ले जा रहे टैंकर से लीक हुआ एसिड, चार महीने के बच्चे समेत तीन लोग झुलसे

नईदिल्ली (आरएनएस)। अवैध रूप से ले जाए जा रहे तेजाब के टैंकर की पाइप फट जाने के लिए एक पूरा परिवार झुलस गया। ये घटना दिल्ली के वजीरपुर इलाके की है। हादसे में घायल चार महीने के बच्चे और उसकी मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल, यह टैंकर एक फैक्ट्री में तेजाब की सप्लाई के लिए जा रहा था। तेजाब को जब फैक्ट्री के टैंक में डाला जा रहा था तो पाइप लीक हो गया और सड़क पर फैल गया। इसी बीच इस स्कूटी पर सवार एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका चार महीने का बच्चा था इसकी चपेट में आ गया। टैंकर ड्राइवर और फैक्ट्री मालिक यह देख मौके से भाग गए। मौके पर परिवार को तड़पता देख एक गार्ड और अन्य व्यक्ति ने उन्हें पास के हॉस्पिटल में अस्पताल पहुंचाया जहां से उन्हें फोर्टिस रेफर कर दिया गया। चार महीने के बच्चे और उसकी माँ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टैंकर में 20 हजार लीटर तेजाब था। सूचना प्राप्त होने के बाद मौके पर पहुंची थाना अशोक विहार की पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

एनसीपी नेता अजित पवार को एसीबी ने दी सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने पवार को सिंचाई घोटाले में आरोपों से मुक्त कर दिया है। 27 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा किए गए शपथपत्र के मुताबिक विदर्भ सिंचाई विकास निगम (वीआईडीसी) के चेयरमैन अजित पवार को कार्यकारी एजेंसियों के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि पवार के पास कोई वैधानिक दायित्व नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में हुए करीब 70 हजार करोड़ के कथित सिंचाई घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नवंबर 2018 में पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को जिम्मेदार ठहराया था। महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि करोड़ों रुपये के कथित सिंचाई घोटाला मामले में उसकी जांच में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य सरकारी अधिकारियों की ओर से भारी चूक की बात सामने आई है। यह घोटाला करीब 70,000 करोड़ रुपये का है, जो कांग्रेस- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देने और उन्हें शुरू करने में कथित भ्रष्टाचार व अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।

के. विजय कुमार गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार नियुक्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी के विजय कुमार को गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है। कुमार जम्मू.कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की सुरक्षा स्थिति पर सरकार को सुझाव देंगे। बता दें कि के विजय कुमार इससे पहले अविभाजित जम्मू.कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार के पद पर रह चुके हैं।

पॉक्सो एक्ट में दया याचिका का प्रावधान हो खत्मः राष्ट्रपति

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पॉक्सो एक्ट में सजायाफ्ता को माफी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे मामलों में दया याचिका का प्रावधान खत्म हो।

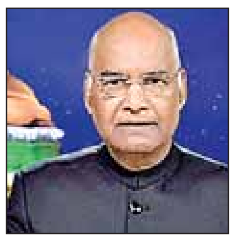

राष्ट्रपति ने राजस्थान के सिरोही में एक कार्यक्रम के दौरान कहाए श्महिला सुरक्षा एक गंभीर मसला है। पॉक्सो अधिनियम के तहत दुष्कर्म के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद को दया याचिकाओं की समीक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ हैवानियत करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस आरोपियों को क्राइम सीन रीकंस्ट्रक्शन करने के लिए ले गई थी। जहां उन्होंने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस ने उनपर गोलियां चलाई। जिसमें उनकी मौत हो गई। इसे लेकर सभी लोगों ने खुशी जाहिर की है। इस घटना ने 16 दिसंबरए 2012 में हुए निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी। निर्भया के आरोपियों को अदालत ने मौत की सजा सुना दी है। इसी बीच निर्भया के चार आरोपियों में से एक आरोपी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार भी 23 साल के विनय शर्मा की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश गृह मंत्रालय को कर चुकी है। इस याचिका को खारिज करते हुए कहा गया है कि निर्भया मामले के जघन्य अपराधी शर्मा की दया याचिका को खारिज किया जाए।

नाइजीरिया में अगवा जहाज में रायपुर के दम्पत्ति भी शामिल

» सीएम बोले हर संभव करेंगे मदद

रायपुर/नई दिल्ली (आरएनएस)। हांगकांग का पानी की एक जहाज को नाइजीरिया के तट के पास समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया है। जहाज में कुल 19 लोग सवार हैं, जिसमें 18 भारतीय मूल के हैं। जबकि एक तुर्की नागरिक है अब खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायुपर का भी एक दंपति इस जहाज में सवार है। बताया गया कि रायपुर निवासी युवक जहाज का चीफ मैकेनिकल इंजीनियर था। फि लहाल पुलिस, शासन-प्रशासन, विदेश मंत्रालय द्वारा तलाश अभियान जारी है, लेकिन अभी तक किसी का कुछ पता नहीं चल पाया है।

मिली जानकारी के अनुसार नाइजीरिया में समुद्री लुटेरों द्वारा अगवा किए जहाज में रायपुर निवासी पति पत्नी भी सवार है। बताया गया कि जहाज में रायपुर निवासी विजय तिवारी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर पदस्थ थे। इस दौरान उनकी पत्नी अंजू तिवारी भी पति के साथ जहाज में सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीयों के अगवा होने की खबर मिलते ही भारतीय दूतावास के अफसरों ने नाइजीरया से संपर्क साधा है ताकि घटना के बारे में और ब्योरा हासिल किया जा सके। साथ ही अगवा भारतीयों को रिहा कराया जा सके।

गृह मंत्रालय से किया संपर्क

मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि नाइजीरियन समुद्री गिरोह द्वारा अगवा जहाज रायपुर निवासी विजय तिवारी और पत्नी अंजू तिवारी के सवार होने की जानकारी मिली है। मामले में विजय तिवारी के भाई से बात हुई है। इस घटना में शामिल कोई भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।नाइजीरियन में तिवारी दंपत्ति का जो अपहरण हुआ है। इस पर जानकारी खंगाली जा रही है। भारत सरकार के दूतावास से लगातार अधिकारी संपर्क में है। जो भी बेहतर हो सकता है, वह हम करेंगे इसका विश्वास दिलाया गया है। गृह मंत्रालय से इस विषय पर लगातार संपर्क किया जा रहा है।

राष्ट्रपति के पास पहुंची दया याचिका, गृह मंत्रालय ने की खारिज करने की गुजारिश

» निर्भया रेप केस

नई दिल्ली (आरएनएस)। हैदराबाद रेप केस के आरोपियों के एनकाउंटर के बीच निर्भया रेप केस मामले में गृह मंत्रालय ने दोषी द्वारा दायर दया याचिका को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के पास भेज दिया है। जिसमें गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से इस याचिका को खारिज करने की भी गुजारिश की है। इससे पहले इस याचिका की फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के जरिए गृह मंत्रालय पहुंची थी।

मंत्रालय द्वारा अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजना प्रक्रिया का हिस्सा है। अब राष्ट्रपति दया याचिका का निपटारा करेंगे। अगर राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर दें उसके बाद मुजरिम को फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ होता है। दया याचिका के निपटारे में गैर वाजिब देरी के आधार पर मुजरिम चाहे तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकता है।

गौरतलब है कि सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के गुनाह के लिए फांसी की सजा का सामना कर रहे दोषियों में एक विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की थी। निर्भया से 16 दिसंबर 2012 को सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। बुरी तरह जख्मी युवती की बाद में मौत हो गई थी। रेप की इस बर्बर घटना के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था और हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली सरकार ने दया याचिका ऐसे वक्त खारिज की हैए जब हैदराबाद में पशु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले के कारण समूचे देश में रोष है। महिला सुरक्षा के लिए स्थापित निर्भया फंड को लेकर सरकार की उदासीनता सामने आई है। निर्भया फंड से कुछ राज्यों ने जहां नाममात्र की धनराशि खर्च की तो वहीं कई राज्य विभिन्न मदों में एक भी पाई का उपयोग करने में विफल रहे। हैदराबाद में महिला डॉक्टर से बलात्कार की घटना से देश में उत्पन्न आक्रोश के बीच एक तथ्य यह भी है कि केंद्र सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए गठित निर्भया फंड के पैसे खर्च करने में सभी राज्य विफल रहे और कुछ राज्यों ने तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया।

हैदराबाद एनकाउंटर की संसद में गूंज

» कांग्रेस बोली- वहां उड़ा दिया और उन्नाव में छोड़ रहे

नई दिल्ली (आरएनएस)। हैदराबाद में महिला डॉक्टर का गैंगरेप कर हत्या करने के आरोपियों के मुठभेड़ में मारे जाने के साथ ही उन्नाव की पीड़िता का मसला भी संसद में गूंजा। हैदराबाद में आरोपियों के एनकाउंटर का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने एक तरह से समर्थन किया और उन्नाव की घटना को लेकर सवाल खड़े किए।

लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक तरफ हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने भागने पर गोली से उड़ा दिया तो उन्नाव में जमानत दे दी गई। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश में राम का मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ देश में सीता मैया को जलाया जा रहा है। यह फिलहाल हिंदुस्तान की असलियत है। आखिर इतनी ताकत आरोपी कैसे जुटा पाते हैं। आरोपियों ने जमानत पर छूटने के 4 दिन बाद इस घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने पीड़िता को आग लगा दी। भागते दौड़ते महिला ने शरण ली और फिर अस्पताल में दाखिल कराया गया।

उनके बाद बोलने खड़ी हुई दिल्ली की बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने हैदराबाद के एनकाउंटर पर कहा कि जैसी करनीए वैसी भरनी। उन्होंने कहा कि यदि अपराधी इस तरह से भागेंगे तो फिर पुलिस को हथियार सजाने के लिए नहीं दिए गए हैं।

लोकसभा में उन्नाव की घटना पर स्मृति से भिड़े कांग्रेस सांसद

» तीखी नोकझोंक व हंगामे के कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित

नई दिल्ली (आरएनएस)। उन्नाव में बलात्कार पीड़िता को जलाये जाने की घटना पर चर्चा के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में कांग्रेस के कुछ सदस्यों और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच तीखी नोंक झोक हुई। सत्ता पक्ष ने धमकी भरे लहजे में पेश आने के लिए मुख्य विपक्षी दल के दो सदस्यों टी एन प्रतापन एवं डीन कुरियाकोस से माफी मांगने और ऐसा नहीं करने पर उन्हें निलंबित करने की मांग की। कांग्रेस के इन सदस्यों के सदन में मौजूद नहीं रहने और सत्तारूढ़ सदस्यों द्वारा

माफी की मांग पर अड़े रहने के बीच लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बज कर करीब 45 मिनट पर सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

दरअसल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने शून्यकाल के दौरान उन्नाव की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि आज हम एक तरफ राम मंदिर बनाने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ देश में ष्सीताएं जलाई जा रही हैं । इस पर पलटवार करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बलात्कार जैसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्मृति ने ऐसी घटनाओं को लेकर कांग्रेस के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा। स्मृति के बयान का कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने कड़ा विरोध किया और इनके बीच तीखी नोकझोंक हो गयी। कांग्रेस के सदस्य टी एन प्रतापन को आक्रामक तेवर में आसन की ओर बढ़ते तथा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर संकेत कर कुछ कहते देखा गया।

पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार लोगों को भारतीय नागरिकता जरूरीः मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वायदों की राजनीति की बजाय कामकाज की राजनीति की तरफले जाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए शुक्रवार को कहा कि पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का शिकार हो रहे लोगों को भारतीय नागरिकता देने से बेहतर कल सुनिश्चित होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने एचटी लीडरशिप समिट में नागरिकता संशोधन बिल के संदर्भ में कहा कि पड़ोसी देशों से आए सैकड़ों परिवार जिन्हें भारत में आस्था थी जब इनकी नागरिकता का रास्ता खुलेगा तो उससे उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। हालांकि कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इस बिल में पाकिस्तानए बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। ऐसी संभावना है कि इसे संसद के चालू सत्र में सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। मोदी ने कहा कि अयोध्या फैसले के बाद देश के लोगों ने सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना होगा कि राम जन्मभूमि का फैसला आने से पहले न जाने क्या.क्या आशंकाएं जताई जा रहीं थी। सुबह फैसला आया और शाम होते.होते देश के लोगों ने सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। इसके पीछे का भाव बेहतर कल का भाव था।

अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले ने विकास की नई उम्मीद जगाई

प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला राजनीतिक तौर पर मुश्किल भले लगता होए लेकिन इसने जम्मू.कश्मीर और लद्दाख के विकास की नई उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के दंश से मुक्ति मिलने से देश के लाखों परिवारों को बेहतर कल का एहसास मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर जो फैसला हुआ है उसने यहां के 40 लाख लोगों के बेहतर भविष्य का रास्ता पक्का किया है। मोदी ने कहा कि कई ऐसे फैसले हैं जो अतीत की विरासत हैंए लेकिन नए भारत की खातिर उन्हें टाला नहीं जा सकताए उनसे बचा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देश के बेहतर भविष्य के लिए आज समय की मांग है कि सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्र यकोर एरियाद्ध में सुशासन पर काम करे। लोगों के जीवन में सरकार का दखल जितना कम होगा और सुशासन जितना ज्यादा होगाए उतनी ही तेजी से देश आगे बढ़ेगा।